पत्रांक–02 / स्था० (विविध)–07–35 / 2018

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सरकार के विशेष सचिव
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

E-mail

FAX

सभी मुख्य अभियंता
जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड।

मुख्य अभियंता,
ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र
एफ०एफ०पी० बिल्डिंग,
धुर्वा, राँची।

प्रबंध निदेशक,
भवन निर्माण निगम लिमिटेड, झारखण्ड, राँची।

उप सचिव,
नगर विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची / दिनांक–..............................

विषयः– **जल संसाधन विभाग से सम्बद्ध कार्यपालक अभियंता / सहायक अभियंता / कनीय अभियंताओं एवं क्षेत्रीय स्थापना से संबंधित वर्ग–3 एवं 4 के कर्मियों तथा भू–अर्जन एवं पुनर्वास कार्यालय से सम्बद्ध कर्मियों का बायोडाटा / ACP / MACP तथा पेंशनादि / सेवान्त लाभ आदि की विवरणी उपलब्ध कराने हेतु आहूत समीक्षात्मक बैठक में भाग लेने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित संवर्ग अन्तर्गत कर्मियों को ACP/MACP का ससमय लाभ प्रदान नहीं करने, पेंशनादि / सेवान्त लाभ ससमय नहीं दिये जाने के कारण माननीय न्यायालय, लोकायुक्त कार्यालय, मुख्यमंत्री जनसंवाद एवं सूचना का अधिकार के तहत प्रतिकूल टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है।

विभागीय अपर मुख्य सचिव द्वारा विभिन्न आहूत बैठकों में समीक्षा के दरम्यान इसे काफी गंभीरता से लिया गया है एवं दिनांक–10.08.2018 को आहूत बैठक में इसे हर हालत में 30 अगस्त 2018 तक निराकरण कर लिये जाने का निदेश दिया गया है।

इसके लिए विभिन्न मुख्य अभियंता प्रक्षेत्रवार अग्रांकित तिथियों को उनके प्रक्षेत्र से संबंधित सभी अंचल / प्रमण्डल के वरीय पदाधिकारी / प्रधान सहायकों को संपूर्ण विवरणी, अभिलेख एवं कागजात के साथ मुख्यालय में उपस्थित होने हेतु प्राधिकृत किया जाय। बैठक विभागीय अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आयोजित की गयी है।

निर्धारित तिथियों को संबंधित अंचल/प्रमण्डल के प्राधिकृत वरीय पदाधिकारियों/प्रधान लिपिक द्वारा सारे अभिलेख/कागजात के साथ बैठक में विहित प्रपत्र–क, ख, ग एवं घ में सम्पूर्ण प्रविष्टि के साथ भाग लेना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि निम्नवत् है :–

क्र०सं०	**मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र**	**तिथि (समय 11:00 बजे A.M.)**
1	मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची।	23.08.2018
2	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची।	
3	प्रबंध निदेशक, भवन निर्माण निगम लि०, झारखण्ड, राँची	
4	नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।	
5	मुख्य अभियंता (याँत्रिक), जल संसाधन विभाग, राँची।	24.08.2018
6	मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची।	
7	मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, जल संसाधन विभाग, राँची।	
8	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची।	
9	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग।	27.08.2018
10	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर।	
11	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर।	28.08.2018
12	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका।	
13	मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर, चांडिल कम्पलेक्स/ईचा–गालूडीह कम्पलेक्स।	29.08.2018
14	मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, धुर्वा, राँची।	

अतः अनुरोध है कि निर्धारित तिथि को आयोजित बैठक में विहित प्रपत्र में पूर्ण सूचना एवं संबंधित अभिलेख के साथ ससमय भाग लेने हेतु निदेशित किया जाय। बैठक में अनुपस्थिति की की स्थिति में प्राधिकृत पदाधिकारी/प्रधान लिपिक के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/–

(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–3562, राँची/दिनांक–20.08.18

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख–I एवं II /उप सचिव (प्र०)/संबंधित सभी अवर सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/08/18

सरकार के विशेष सचिव

प्रपत्र–क

(ACP/MACP संबंधी विवरणी)

मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र :–

क्र०सं०	अंचल / प्रमण्डल / अवर प्रमण्डल का नाम	कार्यपालक अभियंता / सहायक अभियंता / कनीय अभियंता एवं क्षेत्रीय कर्मियों का नाम एवं **I.D.** / जन्म की तिथि	वर्त्तमान पदस्थापन	सेवा में योगदान की तिथि	स्वीकृत **ACP/MACP** की स्थिति	लम्बित **ACP/MACP** की स्थिति (कारण सहित)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रपत्र–ख
(पेंशनादि एवं सेवांत लाभ)

मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र :–

क्र० सं०	अंचल / प्रमण्डल / अवर प्रमण्डल का नाम	कार्यपालक अभियंता / सहायक अभियंता / कनीय अभियंता एवं क्षेत्रीय कर्मियों का नाम एवं **I.D.** / जन्म की तिथि / सेवानिवृत्ति की तिथि / मृत्यु की तिथि	सेवानिवृत्ति / मृत्यु के समय पदस्थापन	लंबित पेशंनादि / सेवांत लाभ की विवरणी	पेंशन / सेवांत लाभ लम्बित रहने का कारण				अभ्युक्ति
					5 वर्ष से अधिक	2–5 वर्ष के बीच	1–2 वर्ष के बीच	1 वर्ष से छः माह के बीच	
1	2	3	4	5	6				7

नोटः– 31 मार्च 2019 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों की सूची भी उपलब्ध करायी जाय।

प्रपत्र–ग
(अद्यतन बायोडाटा एवं चारित्री)

मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र :–

क्र०सं०	अंचल / प्रमण्डल / अवर प्रमण्डल का नाम	कार्यपालक अभियंता / सहायक अभियंता / कनीय अभियंता का नाम एवं I.D. / जन्म की तिथि	वर्त्तमान पदस्थापन	सेवा में प्रथम योगदान की तिथि	तकनीकी शैक्षणिक योग्यता / विशेष तकनीकी योग्यता	अद्यतन बायोडाटा विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने का प्रसंग	विगत पाँच वर्षो का चारित्री का प्रेषण वर्ष 2013–14 से 2017–18	अद्यतन बायोडाटा / चारित्री नहीं भेजने का कारण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रपत्र-ब

विशेष भू–अर्जन एवं पुनर्वास कार्यालय के कर्मियों के संबंध में।

क्र॰सं॰	कार्यरत कर्मचारियों का नाम / पदनाम / नियुक्ति की तिथि एवं सेवानिवृति की तिथि	जिन कर्मियों को ACP/MACP देय है उनका विहित प्रपत्र में प्रस्ताव सेवा पुस्त अध्यतन प्रविष्टि के साथ (सुवर्णरेखा परि॰ अन्तर्गत कार्यालयों को छोडकर)	अगर कर्मी सेवानिवृत हो गये है तो सेवानिवृति लाभ की स्थिति	सुवर्णरेखा परि॰ अन्तर्गत कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों को देय ACP/MACP की स्थिति (कितने कर्मिया को ACP/MACP देना बाकी है।)
1	2	3	4	5